उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून, दिनांक :: 10 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017) की धारा 9 की उपधारा (5) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 01 वर्ष 1904) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना सं. 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात:-

1. उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में उपवाक्य (ii) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा;-

"(तीन) हाउस कीपिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं जैसे कि पलंबिंग, कारपेंटरिंग आदि, सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी है ।"

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 अगस्त, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 918/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

........अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

7420
13/11/2017

अपर आयुक्त-वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No.918 / 2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 10 November, 2017 for general information

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.918/2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017
Dehradun, Dated:: 10 November, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)" read with section 21 of the General Clauses Act, 1904 (Act no. 01 of 1904), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No.531/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the first paragraph, after clause (ii) the following clause shall be inserted, namely:-

"(iii) services by way of house-keeping, such as plumbing, carpentering etc, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under sub-section (1) of section 22 of the said "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017".

2. This notification shall deemed to come into force from the 22nd day of August, 2017.

(Radha Raturi)
Principal Secretary